	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

फाल्गुन 18, शाके 1931, मंगलवार, मार्च 9, 2010
Phalguna 18, Saka 1931, Tuesday, March 9, 2010

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी

किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.384.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, अधिनियम से संलग्न अनुसूची 1 में, तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 27ए, 62, और उनकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 105 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:–

“

106.	बैट्री चालित मोटर यान	
107.	सौर ऊर्जा उपस्कर	
108.	मेहंदी के कोन	
109.	मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खी–कॉलोनी, मधुमक्खी के बॉक्स	
110.	रूद्राक्ष	

”

[एफ.12(22)वित्त/कर/10–80]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.385.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 2 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसची 2 में विद्यमान मद संख्यांक 36 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये मद संख्यांक और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

''37. मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के परिसरों में छात्रों को पके हुए भोजन की आपूर्ति करने वाला व्यवहारी।

38. तीन सितारा से नीचे के प्रवर्ग के रेस्टोरेन्टों और होटलों में उसके द्वारा हुए पकायी गयी खाद्य वस्तुओं का विक्रय करने वाला व्यवहारी।

39. प्रदर्शन के लिए सिनेमा प्रिन्ट या फिल्मों को किराये पर देने वाला व्यवहारी।''

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-81]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.386.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, अधिनियम से संलग्न अनुसूची 3 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसची 3 में, क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तम्भ संख्यांक 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''31.03.2010 तक'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31.03.2011 तक'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-82]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.387.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, अधिनियम से संलग्न अनुसूची 4 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 4 और इसके भाग-क और भाग-ख में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति ''4 प्रतिशत की दर से कराधेय'', के स्थान पर अभिव्यक्ति ''5 प्रतिशत की दर से कराधेय'' प्रतिस्थापित की जायेगी।
(ii) स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''4'', जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''5'' प्रतिस्थापित की जायेगी।
(iii) क्रम संख्यक 68 के स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''1000 वोल्ट से अधिक के वोल्टेज की पीवीसी केबल'' हटायी जायेगी।
(iv) क्रम संख्यक 81 के स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''चूना पत्थर,'' हटायी जायेगी।
(v) क्रम संख्याक 112 के स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''सिलेसिलाये वस्त्र'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''ब्राण्ड वाले सिलेसिलाये वस्त्र को छोड़कर सिलेसिलाये वस्त्र'' प्रतिस्थापित की जायेगी।
(vi) भाग-क की क्रम संख्यांक 3 के स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''कम्प्यूटर प्रिण्टर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''मल्टीफंक्शनल डिवाइसेज को छोड़कर कम्प्यूटर प्रिण्टर'' प्रतिस्थापित की जायेगी।
(vii) भाग-ख में, विद्यमान क्रम संख्यांक 215 और उनकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।
(viii) भाग-ख में, विद्यमान क्रम संख्यांक 268 और उनकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-83]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.388.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, अधिनियम से संलग्न अनुसूची 4 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 4 में,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 2, 18, 22, 32, 45, 161, 162, और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 179 के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

180.	बिनौले की खल	5	
181.	सब्बल	5	
182.	जल प्रदाय के लिए जल टैंकर	5	
183.	सीएफएल बल्ब	5	
184.	मार्बल का पाऊडर, करेजी और चिप्स	5	
185.	सफेदा और अडूसा की लकड़ी	5	
186.	दो हॉर्स पावर से अधिक मोटर क्षमता वाली आटा चक्की	5	

"

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-84]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.389.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/2005-02, दिनांक 11.4.2006 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''0.25%'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''0.50%'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-85]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.390.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के परिसरों में छात्रों को दिये गये पके

हुए भोजन के विक्रय पर किसी व्यवहारी द्वारा संदेय कर से इस शर्त के अध्यधीन इसके द्वारा छूट देती है कि इस प्रकार दिये गये पके हुए भोजन के प्रभार प्रतिमास प्रति छात्र 1500/- रु. से अधिक न हों।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-86]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.391.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी व्यवहारी द्वारा पकाये गये और तीन सितारा से नीचे के प्रवर्ग के रेस्टोरेण्टों और होटलों में परोसे गये भोजन के विक्रय पर उसके द्वारा संदेय कर से, उस सीमा तक जिस तक कर की दर 5 प्रतिशत से अधिक हो, इसके द्वारा छूट देती है।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-87]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.392.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, प्रर्दशन के लिए सिनेमा प्रिण्ट या फिल्मों को किराये पर देने पर उदग्रहणीय कर से इसके द्वारा छूट देती है।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-88]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.393.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ 12(84)एफडी/टैक्स/2009-18, दिनांक 8 जुलाई, 2009 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

मद संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''संगमरमर और ग्रेनाइट'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-89]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.394.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 12(84)एफडी/टैक्स/2009-19, दिनांक 8 जुलाई, 2009 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

मद संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''संगमरमर और ग्रेनाइट'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-90]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.395.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की (समय-समय पर यथा संशोधित) अधिसूचना सं. एफ.

12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.08.2006 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के खण्ड (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''ऐसे आवेदन पर संविदाओं के अवार्ड की तारीख से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् विचार नहीं किया जायेगा'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''तथापि, द्वितीय वर्ष या उसके भाग के मामले में विलम्ब को, पाँच हजार रुपये की विलम्ब फीस के संदाय पर माफ किया जा सकता है और किसी आवेदन पर संविदाओं के अवार्ड की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् विचार नहीं किया जायेगा'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

2. उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में, विद्यमान मद संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टयों के पूर्व, निम्नलिखित नयी मद संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"

1.	संकर्म संविदा जहाँ सामग्री की लागत कुल संविदा रकम के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं हो।	0.25%

"

3. मद संख्यांक 4 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''मद संख्यांक 2 और 3'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''मद संख्यांक 1,2 और 3'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-91]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.396.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 79 की उप-धारा (1) के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 के उप-नियम (1) के खण्ड (i) और (iii) के अनुसरण में राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 12(84)एफडी/टैक्स/2009-21 दिनांक 8 जुलाई, 2009 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान क्रम संख्यांक 5, 9, 17, 23, 29, 34, 35, 37 और उसकी प्रविष्टियों को हटाया जायेगा।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-92]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, दिनांक 9 मार्च, 2010

एस.ओ.397.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 19 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 19 में, -

(i) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''विकल्प नहीं दिया है'' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ''तिमाही की समाप्ति'' के पूर्व अभिव्यक्ति ''या जिसका ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में शुद्ध वार्षिक कर दायित्व बीस हजार रुपये से कम था,'' अन्तःस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान उप-नियम (1क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(1क) उन व्यवहारियों से भिन्न प्रत्येक व्यवहारी,-

(i) जिसने अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन तिमाही निर्धारण के लिए विकल्प दिया है; या

(ii) जिसने अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) या धारा 5 के अधीन या अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन जारी किसी अधिसूचना के अधीन कर के संदाय के लिए विकल्प दिया है; या

(iii) जिसने अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल की है,

सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ मास के भीतर-भीतर प्ररूप मूपक-10क में वार्षिक विवरणी फाइल करेगा।''

(iii) विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

''(3) उप-नियम (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा फाइल किये जाने के लिए अपेक्षित विवरणी के साथ,-

(क) कर के निक्षेप के सबूत के रूप में खजाने की रसीद/प्राधिकृत बैंक का चालान;

(ख) प्ररूप मूपक-07क में क्रयों का विवरण; और

(ग) प्ररूप मूपक-08क में विक्रयों का विवरण,

संलग्न होगा और स्वयं व्यवहारी या उसके कारबार प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जायेगा। यदि उपर्युक्त में से कोई भी विवरणी के साथ संलग्न नहीं किया गया हो तो इसे विवरणी के फाइल नहीं किये जाने का मामला समझा जायेगा।''

(iv) विद्यमान उप-नियम (3क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(3क) उन व्यवहारियों से भिन्न प्रत्येक व्यवहारी,-

(i) जिसने अधिनियम धारा 73 की उप-धारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल की है; या

(ii) जिसने प्ररूप मूपक-10क में वार्षिक विवरणी फाइल की है,

वर्ष की समाप्ति के नौ मास के भीतर-भीतर व्यापार लेखा और विनिर्माता की दशा में व्यापार और विनिर्माण लेखा और लाभ और हानि का लेखा प्रस्तुत करेगा।''

3. नियम 19 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 19क में,

(i) विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(1) नियम 19 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी,-

(i) उन व्यवहारियों से भिन्न प्रत्येक व्यवहारी जिसने अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) या धारा 5 के अधीन या अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन जारी किसी अधिसूचना के अधीन कर के संदाय के लिए विकल्प दिया है, तिमाही की समाप्ति के पैंतालीस दिवस के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए प्ररूप मूपक-10 में अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी इलेक्ट्रोनिक रूप से फाइल कर सकेगा।

(ii) प्रत्येक व्यवहारी जिसने अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) या धारा 5 के अधीन या अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन जारी किसी अधिसूचना के अधीन कर के संदाय के लिए विकल्प दिया है, वर्ष की समाप्ति के एक सौ पांच दिन के भीतर-भीतर प्ररूप मूपक-11 में विवरणी फाइल कर सकेगा।

स्पष्टीकरणः 'तिमाही' से 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तीन मास की कालावधि अभिप्रेत है।''

(ii) विद्यमान उप-नियम (1क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(1क) उन व्यवहारियों से भिन्न प्रत्येक व्यवहारी जिसने,-

(i) अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन तिमाही निर्धारण के लिए विकल्प दिया है; या

(ii) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) या धारा 5 के अधीन या अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन जारी किसी अधिसूचना के अधीन कर के संदाय के लिए विकल्प दिया है; या

(iii) जिसने अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल की है,

सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ मास और पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर प्ररूप मूपक-10क में वार्षिक विवरणी फाइल करेगा।''

(iii) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(2) उप-नियम (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा फाइल किये जाने के लिए अपेक्षित विवरणी के साथ,-

(क) कर के निक्षेप के सबूत के रूप में खजाने की रसीद/प्राधिकृत बैंक का चालान;

(ख) प्ररूप मूपक-07क में क्रयों का विवरण; और

(ग) प्ररूप मूपक-08क में विक्रयों का विवरण,

संलग्न होगा और विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त ऐसी विवरणी(यों) की प्रति को स्वयं व्यवहारी या उसके कारबार प्रबन्धक द्वारा उस पर उसके हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित किया जायेगा और ऐसी विवरणी(यों) को फाइल किये जाने की अंतिम तारीख के पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर उसके निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, ऐसा करने में विफल होने पर इसे विवरणी(यों) फाइल नहीं करने का मामला समझा जायेगा। तथापि, जहां कोई व्यवहारी उसके डिजीटल हस्ताक्षर करके विवरणी को अपेक्षित संलग्नकों के साथ इलेक्ट्रोनिक रूप से फाइल करता है वहां उससे इस प्रकार इलेक्ट्रोनिक रूप से फाइल की गई विवरणी की कम्प्यूटरजनित प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।''

(iv) विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(3) उन व्यवहारियों से भिन्न प्रत्येक व्यवहारी, जिसने,-

(i) अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल की है; या

(ii) प्ररूप मूपक-10क में वार्षिक विवरणी फाइल की है,

वर्ष की समाप्ति के नौ मास के भीतर-भीतर व्यापार लेखा और विनिर्माता की दशा में व्यापार और विनिर्माण लेखा और लाभ और हानि का लेखा प्रस्तुत करेगा।''

4. नियम 27 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 27 के उप-नियम (1) में,-

(i) विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(क) धारा 17 की उप-धारा (2), धारा 53 और धारा 54 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी का ऐसी रकम के निक्षेप के तथ्य को सत्यापित करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि किये गये किसी निर्धारण के परिणामस्वरूप या किसी सक्षम अधिकारी, प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के अनुसरण में किसी व्यवहारी या किसी व्यक्ति द्वारा किया गया संदाय किसी भी कर, शास्ति, ब्याज या अन्य देय राशि से अधिक है तो ऐसा निर्धारण प्राधिकारी या

प्राधिकृत अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या इसके निमित्त प्ररूप मूपक-20 या मूपक-21 या, यथास्थिति, मूपक-22 में आवेदन किये जाने पर ऐसे निर्धारण या ऐसे आदेश की प्राप्ति या पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर प्रतिदाय के लिए आदेश पारित करेगा। प्रतिदाय आदेश ऐसे व्यवहारी या किसी व्यक्ति के पक्ष में जिसका कोर बैंकिग सिस्टम (सी.बी.एस.) रखने वाली किसी बैंक में खाता है, को प्ररूप मूपक-23क में और अन्यों की दशा मे प्ररूप मूपक-23 में पारित किया जायेगा।''

(ii) विद्यमान खण्ड (कक) को खण्ड (कककक) के रूप मे पुनर्संख्यांकित किया जायेगा।

(iii) विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खण्ड (कककक) के पूर्व, निम्नलिखित नये खण्ड '(कक)' और '(ककक)' अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

''(कक) जहां प्रतिदाय के लिए आदेश प्ररूप मूपक-23क में जारी कर दिया गया है वहां निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे आदेश के पारित होने के दो दिवस के भीतर-भीतर इसे इलेक्ट्रोनिक रूप से उपायुक्त (प्रशासन) को प्रेषित करेगा। उपायुक्त (प्रशासन) इसकी प्राप्ति के दो दिवस के भीतर इसे केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी के रूप में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अग्रेषित करेगा। केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी सात दिवस के भीतर उसके द्वारा डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप मूपक-23ख में प्रतिदाय संबंधी ब्यौरे आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक को अग्रेषित करेगा और बैंक को उक्त प्ररूप में उल्लिखित व्यवहारी के खाते मे प्रतिदाय की रकम अन्तरित करने के निदेश देगा और उसकी एक प्रति संबंधित कोषाधिकारी को भेजेगा।

(ककक) जहां प्रतिदाय के लिए आदेश प्ररूप मूपक-23 में जारी कर दिया गया है वहां निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, कोषाधिकारी या उप-कोषाधिकारी या राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बैंक के प्रबन्धक को प्ररूप मूपक-24 में सूचना अग्रेषित करेगा।''

5. नियम 27क का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 27क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''27क. कतिपय मामलों में कर का अनंतिम प्रतिदाय.- (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यवहारी इलेक्ट्रोनिक रूप से विवरणी फाइल करता है, और उसे प्रतिदेय रकम के समतुल्य किसी रकम की तीन वर्ष की कालावधि के लिए बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करता है साथ ही इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करता है कि आगत कर के मुजरा की रकम की जमा के सत्यापन के विफल होने की दशा में वह तत्काल उसे मंजूर रकम का, ऐसी दर पर ब्याज सहित जो अधिनियम की धारा 55 के अधीन अधिसूचित किया जाये, पुनर्संदाय करेगा। निर्धारण प्राधिकारी सुसंगत तिमाही की विवरणी फाइल करने की अन्तिम तारीख से तीस दिवस अपश्चात् अनंतिम प्रतिदाय मंजूर करेगा। व्यवहारी द्वारा दी गयी बैंक प्रत्याभूति निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी जमा के तथ्य के सत्यापन के ठीक पश्चात् निर्मुक्त कर दी जायेगी।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यवहारी इलेक्ट्रोनिक रूप से विवरणी फाइल करता है और ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के सम्बन्ध में दस प्रतिशत तक या अधिक उसके शुद्ध वार्षिक कर दायित्व में बढ़ोतरी हो जाती है तो निर्धारण प्राधिकारी, इस आशय के वचनबंध के साथ व्यवहारी द्वारा

फाइल किये गये आवेदन पर, सुसंगत तिमाही की विवरणी फाइल करने की अन्तिम तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर, ठीक पूर्ववती वर्ष में ऐसे व्यवहारी को मंजूर प्रतिदाय के पचास प्रतिशत का अनंतिम प्रतिदाय मंजूर करेगा कि आगत कर मुजरा की रकम की जमा के सत्यापन के विफल होने की दशा में वह तत्काल उसे मंजूर की गयी रकम का ब्याज सहित पुनर्संदाय करेगा।

(3) निर्धारण प्राधिकारी इस धारा के अधीन अनंतिम प्रतिदाय की मंजूरी के मामले में ऐसे प्रतिदाय की मंजूरी के छह मास के भीतर-भीतर आगत कर मुजरा के दावे का सत्यापन करेगा।''

6. नियम 36 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 36 के उप-नियम (6) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''नौ मास'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''दस मास'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. नियम 38 का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 38 के विद्यमान उप-नियम (9) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

''(10) जहां कोई विक्रेता व्यवहारी राज्य सरकार के किसी विभाग को या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रित किसी कम्पनी या अपनी अंशपूंजी में राज्य सरकार का अभिदाय रखने वाली सहकारी सोसाइटी या जिला और खण्ड स्तर पर किसी नगरपालिका या किसी पंचायतीराज संस्था या राज्य विधानमण्डल की किसी विधि द्वारा या अधीन गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या कानूनी निकाय को माल विक्रय करता है तो वह अपने मूपक बीजक पर संदेय शुद्ध कर की रकम के साथ उपलब्ध आगत कर मुजरा के अतिशेष का भी उल्लेख करेगा और ऐसे मूपक बीजक पर इस आशय की मुहर लगाते हुए उसे अधिप्रमाणित करेगा।''

8. नये नियम 40क का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 40 के पश्चात् और नियम 41 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**40क. कतिपय मामलों में क्रयों की सूचना**.- (1) जहां राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रित किसी कम्पनी या अपनी शेयर पूंजी में राज्य सरकार का अभिदाय रखने वाली सहकारी सोसाइटी या जिला और खण्ड स्तर पर किसी नगरपालिका या किसी पंचायतीराज संस्था या राज्य विधान-मण्डल की किसी विधि द्वारा या अधीन गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या कानूनी निकाय ने, जिसे इस नियम में इसके पश्चात् क्रेता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से किसी माल का क्रय किया है तो -

(i) संदेय शुद्ध कर और नियम 38 के उप-नियम (10) के अधीन मूपक बीजक पर यथाउल्लिखित निक्षिप्त कराये जाने के लिए संदेय शुद्ध कर के; या/और

(ii) बीजक पर कर के, यदि बीजक के प्रति माल का विक्रय किया जाये,

समतुल्य रकम की कटौती करेगा और प्ररूप मूपक-41क में विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को कर की कटौती का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) रिक्त प्ररूप मूपक-41क क्रेता द्वारा सहायक आयुक्त या उस क्षेत्र, जहां ऐसे क्रेता का कार्यालय स्थित है, के वाणिज्यिक अधिकारी या, यथास्थिति, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से, जिसे इस नियम में इसके पश्चात् जारी

करने वाले प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, पच्चीस प्ररूपों वाली प्रत्येक बुक पचास रुपये के संदाय पर अभिप्राप्त की जायेगी।

(3) रिक्त प्ररूप मूपक-41क अभिप्राप्त करने के लिए क्रेता ऐसे प्ररूप की अपनी आवश्यकता बतलाते हुए जारी करने वाले प्राधिकारी को आवेदन करेगा और अन्य विशिष्टियां, सूचना, विवरण और दस्तावेज देगा जो पूर्व अवसरों पर आवेदक को जारी ऐसे प्ररूपों के सद्भाविक उपयोग और ऐसे प्ररूपों की सदभाविक आवश्यकता के बारे में जारी करने वाले प्राधिकारी के समाधान के लिए अपेक्षित हों।

(4) उप-नियम (1) के अधीन की गयी कोई भी कटौती विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के निर्धारण के समय जमा किये गये कर दायित्व के प्रति समायोजित की जायेगी।

(5) उप-नियम (1) में कटौती किये गये कर के बदले में रकम क्रेता द्वारा ऐसी कटौती के मास की समाप्ति के पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर सरकारी लेखा में मूपक-37 में चालान के माध्यम से जमा की जायेगी। प्ररूप मूपक-41क की दूसरी प्रति सहित प्रत्येक क्रय के लिए कटौती किये गये और निक्षिप्त किये गये कर के ब्यौरे का उल्लेख करते हुए प्ररूप-40क में विवरण ऐसे निक्षेप की तारीख से एक मास के भीतर-भीतर चालान के भाग IV के साथ जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) जहां क्रेता उप-नियम (5) में यथा-उल्लिखित विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो जारी करने वाला प्राधिकारी, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अधिनियम की धारा 64 के अधीन शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(7) जारी करने वाला प्राधिकारी, प्ररूप मूपक 41क की दूसरी प्रति प्राप्त करने के पश्चात्, निक्षेपों की शुद्धता सत्यापित करेगा, और उसे तत्काल विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के जारी करने वाले निर्धारण प्राधिकारी को भेजेगा।

(8) जहां रकम की उप-नियम (1) में विहितानुसार कटौती नहीं की गयी है वहां क्रेता, या क्रेता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अधिनियम में यथा-उपंबधित शास्ति का दायी होगा। ऐसे मामलों में विक्रेता व्यवहारी, उसके द्वारा किसी भी रूप में संदाय की प्राप्ति की तारीख से, उक्त रकम अधिनियम में उपंबधित दर पर ब्याज सहित संदत्त करने का दायी होगा।''

9. नियम 39 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 39 के विद्यमान उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (6) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

''(6) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यवहारी या व्यवहारियों का वर्ग, जैसा कि आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, कर, माँग या अन्य राशि का संदाय उक्त नियमों के नियम 39क में यथा उपबंधित रीति में इलेक्ट्रोनिक रूप से करेगा।''

10. नियम 45क का अन्तःस्थापन.- विद्यमान नियम 45 के पश्चात् और विद्यमान नियम 46 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम 45क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**45क. आगत कर मुजरा का सत्यापन और समायोजन.-** जहां कोई व्यवहारी या कोई व्यक्ति उसके द्वारा संदत्त आगत कर मुजरा का दावा करता है और यदि ऐसा मुजरा निक्षेपों के उचित सत्यापन के अभाव में अनुज्ञात नहीं किया जाता है तो सत्यापन प्राधिकारी स्वयं सत्यापन करवायेगा और मांग को समायोजन के अधीन रकम की सीमा तक तब तक प्रवर्तित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा समायोजन अनुज्ञात नहीं किया

जाता या, यथास्थिति, लिखित में आदेश द्वारा ऐसे आगत कर मुजरा के लिए दावा नामंजूर नहीं किया जाता है।''

11. प्ररूप मूपक-07क का अंतःस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान प्ररूप मूपक-07 के पश्चात् और प्ररूप मूपक-08 के पूर्व, निम्नलिखित प्ररूप मूपक-07क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''प्ररूप मूपक-07क

[नियम 19 और 19क देखिए]

[मूपक बीजक के प्रति क्रय का संक्षिप्त विवरण]

01 रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)											वर्ष	इस विवरणी में अंतर्विष्ट कालावधि							
												दिनांक	मास	वर्ष	से	दिनांक	मास	वर्ष	तक
0	8																		

व्यवहारी का पूरा नाम ----------

पता ----------

दूरभाष संख्या ---------- ई-मेल पता ----------

भाग 1

(राज्य के भीतर मूपक बीजक के प्रति पूंजी माल से भिन्न किये गये क्रयों की विशिष्टियां)

क्र. स.	विक्रेता व्यवहारी का नाम	टिन	कालावधि के दौरान किये गये क्रयों की रकम	ऐसे क्रयों पर संदत्त या संदेय कर की रकम

भाग 2

(राज्य के भीतर मूपक बीजक के प्रति पूंजी माल के किये गये क्रयों की विशिष्टियां)

क्र. स.	विक्रेता व्यवहारी का नाम	टिन	कालावधि के दौरान किये गये क्रयों की रकम	ऐसे क्रयों पर संदत्त या संदेय कर की रकम''

12. प्ररूप मूपक-08क का अंतःस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान प्ररूप मूपक-08 के पश्चात् और प्ररूप मूपक-09 के पूर्व निम्नलिखित प्ररूप मूपक-08क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''प्ररूप मूपक-08क

[नियम 19 और 19क देखिए]

[मूपक बीजक के प्रति विक्रयों का संक्षिप्त विवरण]

01 रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)											वर्ष	इस विवरणी में अंतर्विष्ट कालावधि							
												दिनांक	मास	वर्ष	से	दिनांक	मास	वर्ष	तक
0	8																		

व्यवहारी का पूरा नाम ----------

पता ----------

दूरभाष संख्या ---------- ई-मेल पता ----------

(राज्य के भीतर मूपक बीजक के प्रति किये गये विक्रयों की विशिष्टियां)

क्र. स.	क्रेता व्यवहारी का नाम	टिन	कालावधि के दौरान किये गये विक्रयों की रकम	ऐसे विक्रयों पर संदत्त या संदेय कर की रकम''

13. प्ररूप मूपक-10 का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान प्ररूप मूपक-10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"प्ररूप मूपक-10[#]

[नियम 19 और 19क देखिए]

तिमाही विवरणी

01 रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)											वर्ष	इस विवरणी में अंतर्विष्ट कालावधि							
												दिनांक	मास	वर्ष	से	दिनांक	मास	वर्ष	तक
0	8																		

व्यवहारी का पूरा नाम ----------

पता ----------

दूरभाष संख्या ---------- ई-मेल पता ----------

02. उपदर्शित करें यदि विवरणी कालावधि में न तो कोई क्रय हों न ही विक्रय हों	हां	नहीं
03. उपदर्शित करें यदि विवरणी कालावधि में प्रतिदाय का कोई दावा हो	हां	नहीं

04. कर दायित्व (विवरणी के अधीन कालावधि के लिए विक्रयों/क्रयों का ब्यौरा

क्र.स.	पण्यावर्त का ब्यौरा	रकम	कर की दर	कर
4.1	छूट प्राप्त विक्रयों का पण्यावर्त			
4.2	प्रथम बिन्दु पर कराधेय माल, जिस पर पूर्व में कर लग चुका है, का पण्यावर्त			
4.3	राज्य के भीतर मालिक की ओर से विक्रीत माल, जिसके लिए मालिक कर दायित्व का निर्वहन करेगा, का पण्यावर्त			
4.4	राज्य के भीतर निर्यातकर्ताओं को प्ररूप मूपक 15 के प्रति विक्रयों का पण्यावर्त			
4.5	अन्तरराज्यिक विक्रयों, राज्य के बाहर विक्रय, निर्यात सहित के.वि.क. अधिनियम के अधीन पण्यावर्त			
4.6	अन्य पण्यावर्त, यदि कोई हो, जो मूपक के अधीन कराधेय नहीं है (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
4.7.	अन्य विक्रय (धारा 5 या 8 (3) के अधीन) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
4.8	धारा 6 (1) के अधीन कर के दायित्वाधीन माल का पण्यावर्त (वजन, मात्रा, माप या इकाई के आधार पर)			
4.9	कराधेय विक्रय		4%	
4.10	कराधेय विक्रय		14%	
4.11	कराधेय विक्रय (विशेष/रियायती दर) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		-----%	
4.12	विक्रय विवरणी का पण्यावर्त (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
4.13	कुल निर्गत कर [(4.8+4.9+4.10+4.11)-4.12]			
4.14	धारा 4 (2) के अधीन कर के लिए दायी क्रय कीमत *			
4.15	प्रतिवर्तित कर के लिए दायी माल का पण्यावर्त **			
4.16	संदत्त किये जाने के दायी कर की कुल रकम [4.13+4.14+4.15] { धारा 5 या 8(3) के अधीन विक्रयों से भिन्न}			

05. आगत कर [विवरणी कालावधि में मूपक बीजक के प्रति किये गये क्रयों के ब्यौरे जहां इस प्रकार क्रय किये गये माल को धारा 18 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) से (छ) में यथा-उल्लिखित प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है]

क्र.सं.	**क्रय**	**रकम**	**आगत कर**
5.1	क्रय		
5.2	पूंजी माल का क्रय		
5.3	(5.1+5.2) की कालावधि के लिए आगत कर की कुल रकम		

5.4	पूर्ववर्त्ती तिमाही से लाये गये आगत कर मुजरा		
5.5	[5.3+5.4] की कालावधि के लिए उपलब्ध कुल आगत कर मुजरा		

06. संदेय/आस्थगित कर

		रकम
6.1	शुद्ध संदेय कर 4.16 – 5.5	
6.2	आस्थगित कर (आस्थगित फायदे प्राप्त करने की दशा में)	
6.3	निक्षिप्त किये जाने वाले कर की रकम (6.1–6.2)	
6.4	शोध्य मूपक/के.वि.क. के विरूद्ध समायोजित अतिरिक्त आगत कर मुजरा की रकम (यदि कोई हो)(कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
6.5	कुल कर कालावधि के लिए अग्रनीत अतिशेष/प्रतिदेय	

07. विवरणी कालावधि के अधीन प्रशमन या छूट फीस, यदि कोई हो, की रकम ----

08. निक्षेप का ब्यौरा (मूपक–37, मूपक–38, मूपक–39, स्त्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र और प्रतिदाय समायोजन आदेश इत्यादि)

कर की कालावधि	देय तारीख	देय कर	निक्षिप्त रकम	निक्षेप की तारीख	विलम्ब	संदेय ब्याज	ब्याज के निक्षेप की तारीख	अभ्युक्तियां (टीडीएस, प्र. स.आदेश सं. इत्यादि)
कुल								

स्थानः हस्ताक्षर
तारीखः नामः
प्रास्थितिः

सत्यापन

मैं/हम यह सत्यापित करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त सूचना और इसके संलग्नक मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थानः हस्ताक्षर
तारीखः नामः
प्रास्थितिः

इस प्ररूप को भरने से पूर्व कृपया अनुदेश सावधानी पूर्वक पढ़ें।
* क्रय कर तब लागू होगा जब कोई भी कर माल के विक्रय पर संदेय नहीं है और माल को धारा 18 के खण्ड (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट के सिवाय प्रयोजन के लिये व्ययनित किया जाता है।
** प्रतिवर्तित कर आगत कर का वह भाग है जिस पर धारा 18 के उपबंधों के उल्लंघन में मुजरा प्राप्त किया गया है उदाहरणार्थ क्रय विवरणी, और इसमें अनुज्ञात नही किया गया आनुपातिक आगत कर मुजरा सम्मिलित है उदाहरणार्थ राज्य के बाहर विक्रय की दशा में 4 % तक।

अनुदेश

1. विवरणी का प्रत्येक स्तम्भ भरें-उन स्तम्भों में ला.न. लिखें, जो लागू नहीं होते हैं।
2. अतिरिक्त पन्ना/पन्ने संलग्न करें यदि यह स्थान पर्याप्त न हो।
3. प्ररूप मूपक-07क, मूपक-08क की प्रतियां और निक्षेप का सबूत संलग्न करें।
4. ऐसे व्यवहारी, जिन्होंने तिमाही निर्धारण का विकल्प किया है, इस प्ररूप के साथ मूपक-12, मूपक-48, मूपक-50 और घोषणा प्ररूप, यदि विवरणी के अधीन की कालावधि के लिए विक्रयों या क्रय पर लागू हो, भी प्रस्तुत करेंगे।''

14. प्ररूप मूपक- 20 में संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-20 में, क्रम संख्यांक 3.5 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और क्रम संख्यांक 4 के पूर्व, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 3.6 और उसकी प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्.-

''3.6 क्या शाखा में सीबीएस व्यवस्था है | हां | नहीं | ''

15. प्ररूप मूपक- 21 में संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-21 में, क्रम संख्यांक 3.5 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और क्रम संख्यांक 4 के पूर्व, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 3.6 और उसकी प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थातः-

''3.6 क्या शाखा में सीबीएस व्यवस्था है | हां | नहीं | ''

16. प्ररूप मूपक- 22 में संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-22 में, विद्यमान क्रम संख्यांक 3.5 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और क्रम संख्यांक 4 के पूर्व, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 3.6 और उसकी प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्ः-

''3.6 क्या शाखा में सीबीएस व्यवस्था है | हां | नहीं | ''

17. प्ररूप मूपक- 23क का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-23क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः-

''प्ररूप मूपक-23क

(नियम 27(1)(क)28(3) और 29(2) देखिए)

इलेक्ट्रोनिक प्रतिदाय के लिए आदेश

प्रेषिती,
केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी,
वाणिज्यिक कर विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन) | | | | | | | | | | | |

1.व्यवहारी का नाम | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. पता
भवन सं./क्षेत्र, नगर
और शहर का नाम
जिला (राज्य) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

पिनकोड | | | | | | | ई-मेल आईडी | | | | | | |

आनुकल्पिक ई-मेल आई.डी. | | | | | | | | | | |

दूरभाष संख्या (संख्याएं) | | | | | | | | | फैक्स सं. | | | | | |

3. बैंक का ब्यौराः

3.1 बैंक का नाम जिसमें प्रतिदाय चाहा गया है। | | | | | | | | | | |

3.2 शाखा का नाम | | | | | | | | | | |

3.3 खाता संख्या | | | | | | | | | | |

3.4 खाते का प्रकार | | | | | | | | | | |

3.5 शाखा का आई.एफ.एस.सी. संख्याक | | | | | | | | | | |

4. अनुज्ञात प्रतिदाय की रकम और उसके कारण

क. निर्धारण आदेश के अनुसार-

i कालावधि | | | | | | से | | | | | तक

ii. आदेश की तारीख, यदि कोई हो, दिवस/मास/वर्ष | | | | | | | | |

या/और

ख. सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी/न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप

i. प्राधिकारी का नाम

ii. आदेश की तारीख दिवस/मास/वर्ष | | | | | | | | |

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिदाय की रकम वर्ष..... के लिए मांग और संग्रहण रजिस्टर के क्रम संख्यांक ..... पर प्रविष्ट कर ली गई है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कर, शास्ति या ब्याज जिसके लिए प्रतिदाय किया गया है, बैंक/खजाना में चालान संख्या..... दिनांक..... द्वारा जमा करा दिया गया है और आर.सी.आर. में क्र.सं. ..... पर प्रविष्ट किया गया है।

यह और प्रमाणित किया जाता है कि अब प्रश्नगत राशि के संबंध मे कोई प्रतिदाय आदेश पूर्व में मंजूर नहीं किया गया है और इस प्रतिदाय के आदेश को मेरे हस्ताक्षर से कालावधि.....के लिए मैसर्स ..... की फाइल में प्रविष्ट कर लिया गया है।

कार्यालय की मुहर

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम

सूचना और बैंक के समाधान के लिए मैसर्स ..... को प्रतिलिपि अग्रेषित है।

कार्यालय की मुहर

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम ''

18. प्ररूप मूपक-23 ख का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-23क के पश्चात् और विद्यमान प्ररूप मूपक-24 के पूर्व निम्नलिखित नया प्ररूप मूपक-23ख अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''प्ररूप मूपक-23ख
(नियम 27(1)(कक)देखिए)
बैंक द्वारा इलेक्ट्रोनिक रूप से प्रतिपूर्ति की जाने वाली रकम के प्रतिदाय के लिए प्ररूप

प्रेषिती,
प्रबंधक,
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर।

कृपया स्तम्भ संख्या 4 में वर्णित रकम, व्यवहारी/व्यक्ति के बैंक खाते में जिसका नाम स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित है, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्या 7 से 9 में वर्णित बैंक के ब्यौरे के अनुसार, अन्तरित करें:-

सारणी

क्र. सं.	व्यवहारी का नाम	टिन	प्रतिदाय के ब्यौरे			बैंक के ब्यौरे		
			रकम	आदेश की तारीख	प्रतिदाय की कालावधि	बैंक का नाम	खाता संख्या	भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (भा.वि.प्र. को.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी का नाम
वाणिज्यिक कर,
राजस्थान, जयपुर

कोषागार.....के कोषाधिकारी को मूपक कटौती प्रतिदाय के अधीन कोषागार में रकम समायोजित करने की अभ्यर्थना सहित।

केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी
वाणिज्यिक कर,
राजस्थान, जयपुर

टिप्पणः यह प्ररूप केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी द्वारा डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।''

19. प्ररूप मूपक-40क का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान प्ररूप मूपक 40 के पश्चात् और प्ररूप मूपक-41 के पूर्व निम्नलिखित प्ररूप मूपक 40क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''प्ररूप मूपक-40क

[नियम 40 क(5) देखिए]

राज्य सरकार के किसी विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या कम्पनी या अपनी शेयर पूंजी में राज्य सरकार का अभिदाय रखने वाली किसी सहकारी सोसाइटी या जिला और खण्ड स्तर पर किसी नगरपालिका या पंचायती राज संस्था या राज्य विधान-मण्डल की किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या कानूनी निकाय द्वारा किये गये क्रयों और निक्षिप्त कर की विशिष्टियां।

प्रेषिती,

-------------------------.
-------------------------.
-------------------------.

1. क्रेता का नाम

2. पता

भवन सं./ क्षेत्र, नगर और शहर का नाम

जिला (राज्य)

पिन कोड ई-मेल आईडी

3. मास का नाम [अप्रेल/मई/जून/जुलाई/अगस्त/सित/अक्टू/नव/दिस/जन/फर/मार्च]
(जिस मास से यह प्ररूप संबंधित है, उस पर निशान लगाएं)

4. मास के दौरान निक्षिप्त कर और क्रयों के ब्यौरेः

			मूपक बीजक/बीजक के ब्यौरे				कटौती किये गये और निक्षिप्त करवाये गये कर के ब्यौरे				
क्र.सं.	विक्रेता व्यवहारी का नाम	विक्रेता व्यवहारी का रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)	सं.	तारीख	रकम	निक्षिप्त किये जाने वाले कर की रकम	कटौती किये गये कर की रकम	निक्षिप्त किये गये कर की रकम	चालान की सकल रकम	तारीख	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

स्थानः हस्ताक्षर
तारीखः नामः
प्रास्थितिः

सत्यापन

मैं/हम यह सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त सूचना और इसके संलग्नक मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थानः हस्ताक्षर
तारीखः नामः
प्रास्थितिः ''

20. प्ररूप मूपक-41क का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान प्ररूप मूपक-41 के पश्चात् और प्ररूप मूपक-42 के पूर्व निम्नलिखित प्ररूप मूपक-41क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''प्ररूप मूपक-41क

[नियम 40क(1), (3), (5) और (7) देखिए]

कर की कटौती का प्रमाणपत्र

प्रतिपर्ण (क्रेता द्वारा रखा जाये)
मूल (विक्रेता व्यवहारी को जारी किया जाये)

प्ररूप सं. जारी करने वाले कार्यालय का नाम जारी करने की तारीख (दिनांक/मास/वर्ष) | | | जारी करने वाले अधिकारी की मुहर

प्रेषिती,

रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)

1. व्यवहारी का नाम

2. पता
भवन सं./ क्षेत्र, नगर
और शहर का नाम
जिला (राज्य)
पिन कोड
ई-मेल आईडी

मैं, ---------- के रूप में कार्यरत या पदधारण करने वाला, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि बिल में से नीचे दिये गये क्रयों के प्रति आपको संदेय ---------- रु. (शब्दों में) ---------- रु. (अंकों में) की राशि की कटौती कर ली गयी है। उक्त कटौती की गयी रकम को, नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन आपके कर दायित्व के प्रति, सरकारी खजाने में निक्षिप्त करवा दी गयी है।

3. मास के दौरान किये गये क्रयों, कटौती किये गये और निक्षिप्त करवाये गये कर का ब्यौराः [अप्रेल/मई/जून/जुलाई/अगस्त/सित/अक्टू/नव/दिस/जन/फर/मार्च]

	क्रय का ब्यौरा				कटौती किये गये और निक्षिप्त करवाये गये कर कर ब्यौरा				
क्र.सं.	मूपक बीजक/बीजक सं.	तारीख	रकम	निक्षिप्त करवाये जाने वाले कर की रकम	कटौती करवाये गये कर की रकम	निक्षिप्त करवाये गये कर की रकम	चालान की सकल रकम	तारीख	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

स्थानः हस्ताक्षर
तारीखः नामः
प्रास्थितिः

सत्यापन

मैं/हम यह सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त सूचना और इसके संलग्नक मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थानः हस्ताक्षर
तारीखः नामः
प्रास्थितिः

जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा निक्षिप्त करवाये गये कर का सत्यापन
(जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा भरा जाये)

---------- द्वारा कटौती की गयी ---------- रु. (शब्दों में) ---------- रु. (अंकों में) की रकम सरकारी खजाने में निम्नानुसार निक्षिप्त करवा दी गयी हैः-

रकम	निक्षेप की तारीख	आरसीआर सं.

कार्यालय की मुहर जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर ''

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-93]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.398.-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी व्यवहारी द्वारा राज्य के किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित टेक्सटाइल प्रसंस्करण गृह से स्थानीय क्षेत्र में लाये गये प्रसंस्कृत टेक्सटाइल पर अधिनियम के अधीन संदेय कर से 15.10.1999 से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन इसके द्वारा छूट देती है, अर्थात्:-

(1) कि प्रसंस्करण गृह ने उसके द्वारा प्रसंस्कृत किये गये अप्रसंस्कृत टेक्सटाइल पर उक्त अधिनियम के अधीन कर या कर के स्थान पर प्रशमन रकम संदत्त कर दी है; और
(2) कि राज्य सरकार को पूर्व में संदत्त कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-94]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.399.-राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं.24) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी सिनेमाघर के स्वत्वधारी द्वारा संदेय मनोरंजन कर का इस शर्त पर इसके द्वारा परिहार करती है कि सिनेमाघर में सीट या स्थान सुविधा के किसी वर्ग के लिए प्रवेश फीस पचास रूपये से अधिक न हो।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-95]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.400.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.4(1)वित्त/कर/2000-318 दिनांक 30.3.2000 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया

जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि कुटुम्ब के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित व्यवस्थापन विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को घटाकर ऐसे विलेख द्वारा व्यवस्थापित सम्पति के बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :''कुटुम्ब सदस्य'' से व्यवस्थापनकर्ता का पिता, माता, पत्नी, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, पुत्रवधु अभिप्रेत है।

यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-96]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.401.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा किसी महिला स्वयं सहायता समूह, चाहे ऐसा स्वयं सहायता समूह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग/एजेन्सी से सम्बद्ध हो अथवा नहीं, के सदस्य द्वारा ऐसे समूहों के भीतर ऋण अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए निष्पादित पारस्परिक करार के दस्तावेज पर संदेय स्टाम्प शुल्क का परिहार करती है।

यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-97]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.402.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राजस्थान राज्य के भीतर जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए निष्पादित या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए या शैक्षणिक छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए आवेदन के संबंध में अपेक्षित शपथपत्रों पर संदेय स्टाम्प शुल्क का इसके द्वारा परिहार करती है।

यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-98]

राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.403.- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि अकृषिक उधार के प्रयोजन के लिए किसी बैंक या वित्त कम्पनी के पक्ष में निष्पादित हक विलेखों के निक्षेप अथवा साम्यापूर्ण बंधकों से संबंधित करार या किसी अन्य दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस को अधिकतम 25,000 रु. के अध्यधीन 1 प्रतिशत से घटाकर अधिकतम 25,000 रु. के अध्यधीन 0.1 प्रतिशत किया जायेगा।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-99]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.404.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.2(72)वित्त/कर/2006-46 दिनांक 12.9.07 में, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति ''भूमि के अर्जन'' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ''के लिए निष्पादित'' के पूर्व अभिव्यक्ति ''या क्रय'' अन्तःस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति ''थर्मल पावर संयंत्र'' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ''बशर्ते परियोजना की पूंजी लागत'' के पूर्व विद्यमान अभिव्यक्ति ''(कैप्टिव पावर संयंत्र को छोड़कर)'' हटायी जायेगी।

यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-100]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
जयपुर, 9 मार्च, 2010
अधिसूचना

एस.ओ.405.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं.11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एच क्यू/95/1एल, दिनांक 27.03.2006 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ सं. 2 में यथा-विनिर्दिष्ट गैर-परिवहन यानों के मामले में एकबारीय कर की दर, उसके स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से विहित करती है:-

सारणी

क्र. सं.	**मोटर यानों के वर्ग का विवरण**	**एकबारीय कर की दर**
1.	केवल व्यक्तियों और हल्के वैयक्तिक सामान के प्रवहण के लिए ही संनिर्मित और उपयोग में लिये जा रहे, दुपहिया यानों को सम्मिलित करते हुए, ऐसे मोटर यान जिनकी सीट क्षमता ड्राइवर सहित 10 तक है;	
	(क) इंजन क्षमता वाले दुपहिया यान	
	(i) 100 सीसी तक	यान की लागत का 4%
	(ii) 100 सीसी से अधिक	यान की लागत का 8%
	(ख) तिपहिया यान	
	(i) 1,50,000 रु. तक की लागत वाले यान	यान की लागत का 3%
	(ii) 1,50,000 रु. से अधिक लागत वाले यान	यान की लागत का 4%
	(iii) 1,50,000 रु. तक की लागत वाली चैसिस	चैसिस की लागत का 3.75%
	(iv) 1,50,000 रु. से अधिक लागत वाली चैसिस	चैसिस की लागत का 5%
	(ग) चारपहिया यान	
	ड्राइवर सहित 10 तक की सीट क्षमता वाले	
	(i) 2,50,000 रु. तक की लागत वाले यान	यान की लागत का 2.5%
	(ii) 2,50,000 रु. से अधिक तथा 6,00,000 रु. तक की लागत वाले यान	यान की लागत का 5%
	(iii) 6,00,000 रु. से अधिक तथा 10,00,000 रु. तक की लागत वाले यान	यान की लागत का 8%
	(iv) 10,00,000 रु. से अधिक लागत	यान की लागत का 10%

	वाले यान	
	(घ) ऊपर वर्णित यानों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर या साइड कारें	उस यान की लागत का 0.30% जिससे ट्रेलर या साइड कार संलग्न की जाती है
2.	अशक्तों के उपयोग के लिए अनुकूलित दुपहिया/तिपहिया मोटर यान	अधिकतम 50 रु0 के अध्यधीन रहते हुए यान की लागत का 0.30%
3.	कृषि ट्रेक्टर/कम्बाइन हारवेस्टर	यान की लागत का 0.30%
4.	निजी उपयोग के लिए कैम्पर वैन/ट्रेलर	
	(क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये	चैसिस की लागत का 10%
	(ख) सम्पूर्ण बॉडी सहित क्रय किये गये	यान की लागत का 7.5%
5.	रिग, जेनरेटर या कम्प्रेसर जैसे उपस्कर लगे यान, क्रेन माउन्टेड यान, फोर्क लिफ्ट, टो ट्रक, ब्रेक डाउन वैन, रिकवरी यान, टावर वैगन, ट्री ट्रिमिंग यान या किसी प्रवर्ग के अधीन नहीं आने वाले अन्य गैर-परिवहन यान।	
	(क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये	चैसिस की लागत का 10%
	(ख) सम्पूर्ण बॉडी सहित क्रय किये गये	यान की लागत का 8%
6.	संनिर्माण उपस्कर यान	
	(क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये	चैसिस की लागत का 7.5%
	(ख) सम्पूर्ण बॉडी सहित क्रय किये गये	यान की लागत का 6.0%

परन्तु :

(1) ऊपर क्र. सं. 1 से 3 के सामने स्तम्भ सं. 2 में वर्णित मोटर यानों के स्वामित्व के प्रत्येक अन्तरण पर रजिस्ट्रीकरण के समय संदत्त एकबारीय कर की 25% की दर से अतिरिक्त कर संदेय होगा।

(2) ऊपर क्रम सं 4 से 6 के सामने स्तम्भ सं. 2 में वर्णित मोटर यानों के स्वामित्व के प्रत्येक अन्तरण पर रजिस्ट्रीकरण के समय संदत्त एकबारीय कर की 10% की दर से अतिरिक्त कर संदेय होगा।

(3) कोई भी अतिरिक्त कर संदेय नहीं होगाः-

(i) ऐसे मामलों में जहाँ स्वामित्व का अंतरण मोटर यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी की मृत्यु के कारण मोटर यान के कब्जे के उत्तरवर्ती व्यक्ति के नाम में किया जा रहा हो; या

(ii) ऐसे मामलों में जहां यान के स्वामी द्वारा बीमा कम्पनी के विरुद्ध फाइल किया गया दावा तय हो जाने के कारण यान बीमा कम्पनी के नाम में अन्तरित किया जा रहा हो।

(4) राज्य में पहले से या राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत या मिलिट्री डिस्पोजल यानों के मामले में, जिन पर एकबारीय कर पूर्व में संदेय नहीं था, एकबारीय कर, ऊपर यथा-संगणित कर की रकम को, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक प्रति वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए 5% की दर से घटा कर, परिनिर्धारित किया जायेगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण से छूटप्राप्त यानों या ऐसे यानों की दशा में जो विहित समय के दौरान रजिस्ट्रीकृत नहीं किये गये थे, जिन पर एकबारीय कर पूर्व में संदेय नहीं

था, एकबारीय कर ऊपर यथा-संगणित कर की रकम में से उनके क्रय की तारीख से 10 वर्ष तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 5% की दर से घटा करके इस शर्त के अध्यधीन परिनिर्धारित किया जायेगा कि ऐसे यान पर शोध्य कर संदत्त कर दिया गया है।

(6) यदि ऊपर क्र.सं. 1 से 3 के सामने स्तम्भ सं. 2 में यथावर्णित ऐसे यान भाड़े या पारितोषिक पर चल रहे पाये जायें तो ये यान उस सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें यान भाड़े या पारितोषिक पर चल रहा पाया गया था, समान प्रकार के परिवहन यानों के लिए यथा-अधिसूचित कर का संदाय करने के दायी होंगे किन्तु उन मामलों में जहां यान उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें वह भाड़े या पारितोषिक पर चलता हुआ पाया गया था, रजिस्ट्रीकृत है तो शेष वित्तीय वर्ष के लिए आनुपातिक आधार पर कर संदत्त किया जायेगा।

टिप्पणः इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन संदेय कोई कर या शास्ति किसी मोटर यान के स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरणः

(1) ''संनिर्माण उपस्कर यान'' से केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2 (ग क) में यथा-परिभाषित यान अभिप्रेत है। संनिर्माण उपस्कर यान द्वारा सार्वजनिक सड़क का उपयोग मुख्य ऑफ रुट कृत्य का आनुषंगिक है। यदि सार्वजनिक सड़क नियमित रूप से वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये प्रयुक्त हो रहा है तो संनिर्माण उपस्कर यान परिवहन यान समझा जायेगा।

(2) कर की संगणना के लिए यानों की लागतः

(i) नए यान/चैसिस के मामले में क्रय बिल में यथादर्शित समस्त करों सहित शोरुम बाह्य कीमत होगी।

(ii) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत/खरीदे गये और समनुदेशन/रजिस्ट्रीकरण के लिए राजस्थान में लाये गये यानों के मामले में, और राजस्थान में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत ऐसे यान के लिए, जिन पर एक-बारीय कर पूर्व में संदेय नही था उस दिन, जिस दिन कर शोध्य होता है वह लागत होगी जो इस राज्य में समान प्रकार के यानों पर राजस्थान में प्रचलित हो।

(iii) भारत के बाहर विनिर्मित यानों के मामले में समस्त करों और उद्ग्रहणों सहित वह रकम होगी जो संदत्त कर दी गयी है, चाहे राजस्थान में नये सिरे से आयातित हो या समनुदेशन के लिए अन्य राज्यों से लाये जायें।

(iv) मिलिट्री डिस्पोजल यानों के मामले में, रजिस्ट्रीकरण के दिन समान प्रकार के यान पर यथा-प्रचलित रकम होगी।

[एफ.6(179)परि/कर/मु°/95/1पी]
राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार शर्मा,
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
जयपुर, 9 मार्च, 2010
अधिसूचना

एस.ओ.406.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.6(179)परि/कर/मु°/95/25, दिनांक 31.3.2006 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान परन्तुक (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(2) खण्ड 1 और खण्ड 2 के उप-खण्ड (v), (vi) और (vii) के अधीन आने वाले मोटर यानों के लिए विशेष सड़क कर की अधिकतम रकम 35000/- रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं होगी।''

[एफ.6(179)परि/कर/मु°/95/25ए]
राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार शर्मा,
शासन उप सचिव